[2016] 11 एस.सी.आर. 58

श्रीकांत रॉय और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10874, 2016)

16 नवम्बर, 2016

[टी. एस. ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

न्यायिक सेवा - उच्च न्यायिक सेवा - चयन प्रक्रिया - अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों के लिए चयन - झारखंड उच्च न्यायिक सेवाएं (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 नियम 5 और 8 संशोधित नियमों के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों का विभाजन, जिसमें 50% पद पदोन्नति द्वारा भरने हैं, मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर शेष 50% पदों को समान रूप से विभाजित किया जाना है, अर्थात् 25% सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा और 25% सीधे बार से भर्ती द्वारा। अगस्त 2008 में पदोन्नति के माध्यम से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से एडीजे के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि 50% पद पहले ही मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जा चुके थे, शेष 50% रिक्तियों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा और सीधे भर्ती द्वारा समान अनुपात में भरा जाना चाहिए। अपील पर, माना गया: पदोन्नति और सीधे भर्ती के बीच अनुपात बनाए रखने के लिए संशोधित नियम 20 अगस्त 2004 को प्रभावी हो गए और उनका अनुप्रयोग भविष्य के लिए था। राज्य सरकार के निरंतर रुख और उच्च न्यायालय (प्रशासनिक पक्ष) द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 2008 में एडीजे के पदों को भरने के लिए पदोन्नति के लिए अधिसूचना इस आधार पर जारी की गई थी कि सीधे भर्ती कोटा के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। उच्च न्यायालय ने सीधे भर्ती कोटे से संबंधित रिक्त पदों के बारे में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं कर स्पष्ट त्रुटि की। "पद" और "रिक्ति" के बीच का अंतर उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया। एक बार यह पाया गया कि प्रासंगिक समय पर सीधे भर्ती कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी, तो वे निजी उत्तरदाता जो केवल सीधे भर्ती के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे, पदोन्नति द्वारा नहीं, का 2008 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई स्थान नहीं था। परिणामस्वरूप, 2008 की चयन प्रक्रिया को उचित और अंतिम माना गया।

मुख्य सिविल अपील को स्वीकार करते हुए और तीन संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 जब पदोन्नति और सीधे भर्ती के बीच अनुपात बनाए रखने के लिए संशोधित नियम 20 अगस्त 2004 को प्रभावी हो गए और उनका अनुप्रयोग भविष्य के लिए था, तो 20 अगस्त 2004 को प्राप्त वास्तविक स्थिति प्रासंगिक हो जाती है। [पैरा 12] [70-जी-एच]

श्रीकांत रॉय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य

1.2 नियम 4 और 5 को नियम 8 के साथ पढ़ने पर, जैसा कि 20.08.2004 के संशोधन से पहले था, 2004 से पहले की गई नियुक्तियाँ प्रासंगिक समय पर लागू नियमों द्वारा शासित थीं। उस व्यवस्था के अनुसार, सीधे भर्ती के लिए कोटा कुल पदों का 33% था। यह स्पष्ट रूप से संशोधित नियमों (20.08.2004 को संशोधित) में निर्दिष्ट 25% से अधिक था। विशेष रूप से, राज्य झारखंड ने इस न्यायालय के समक्ष सी.ए.नं. 1867/2006 में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें यह बताया गया था कि उस समय राज्य झारखंड में सीधे भर्ती के 25% कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। यह हलफनामा 26 अगस्त 2008 को दायर किया गया था, जब संशोधित नियम अधिसूचित हो चुके थे और 20 अगस्त 2004 से लागू थे। इस प्रकार, 2008 में झारखंड अधीनस्थ न्यायाधीशों के सदस्यों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 34 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए अधिसूचना इस आधार पर जारी की गई थी कि सीधे भर्ती कोटे के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा दायर हलफनामे में अब भी इस रुख को दोहराया गया है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में 20.08.2004 को सीधे भर्ती के लिए रिक्त पदों के बारे में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करके स्पष्ट त्रुटि की, और उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की इस बात को खारिज कर दिया कि 30.04.2008 तक सीधे भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। [पैरा 13, 14] [71-ए; 72-सी-एफ]

1.3 एक बार यह पाया गया कि 30 अप्रैल 2008 तक सीधे भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई पद उपलब्ध नहीं था, तो झारखंड उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पाई जा सकती। विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय ने 25:25 के अनुपात में रिक्तियों को भरने के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सीधे भर्ती के कोटे के पद 30.04.2008 तक अनिवार्य रूप से अधिक हो जाते। यह रोस्टर पॉइंट को बिगाड़ देगा और संशोधित नियम 8 के अनुसार अनुचित होगा। [पैरा 16] [76-ए-बी]

1.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 30 अगस्त 2008 तक सीधे भर्ती के कोटे में कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी, रिट याचिकाकर्ताओं (प्रमुख अपील में प्रतिवादी 4 से 11), जो केवल सीधे भर्ती की चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के रूप में नहीं, के पास 2008 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। [पैरा 18] [78-ए-बी]

2. उच्च न्यायालय ने "पद" और "रिक्ति" के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया। यदि सीधे भर्ती के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ आवश्यक पद पहले से ही भरे हुए थे, तो केवल कुछ रिक्तियों के होने के कारण, सीधे भर्ती के कोटे के उम्मीदवारों के लिए सेवा न्यायिक अधिकारियों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देना उचित नहीं होगा। [पैरा 19] [78-बी-सी]

_अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002)_ 4 एससीसी 247: 2002 (2) एससीआर 712; _राखी राय और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य_ (2010) 2 एससीसी 637 2010 (2) एससीआर 239 संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

2002 (2) एससीआर 712	**संदर्भित**	**पैरा 15**
2010 (2) एससीआर 239	**संदर्भित**	**पैरा 21**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 2016 का 10874.

29.08.2008 के उच्च न्यायालय झारखंड के निर्णय और आदेश से रांची में डब्ल्यूपीएस नं. 2008 का 4159

साथ

डब्ल्यूपी (सी) नं. 300 का 2013

डब्ल्यूपी (सी) नं. 27 और 325 का 2014

निधेश गुप्ता, अमरेंद्र शरण, अजीत कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता रौनक सिंह, अमित कुमार, शौर्य, पुनीत वर्शनेय, राजीव शर्मा, सुमित कुमार, डॉ. कैलाश चंद, अम्भोज कुमार सिन्हा, कृष्णानंद पाण्डेय, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, देवाशीष भारुका, सुश्री मधुस्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, सुश्री मधुर दादलानी, जयेश गौरव, अनिल के. झा, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद वकास, आदित्य प्रताप सिंह, शिव राम शर्मा, सुश्री आशा गोपालन नायर, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **ए. एम. खानविलकर, जे.** द्वारा दिया गया: 1. अनुमति दी जाती है।

2. यह सामान्य निर्णय सभी चार याचिकाओं का निपटारा करेगा।

3. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 से उत्पन्न होने वाला मुख्य सिविल अपील, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के खंडपीठ के 29 अगस्त 2008 के W.P.(S) संख्या 4159/2008 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है। इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादी 4 से 11) ने 31 अगस्त 2008 को निर्धारित 34 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों को सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से भरने की चयन प्रक्रिया और 23 अगस्त 2008 को पदोन्नति अधिकारियों के आधार पर 18 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों को भरने की चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादी 4 से 11) को वर्ष 2002 में अस्थायी और अतिरिक्त कैडर पदों के खिलाफ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि चुनौतीपूर्ण चयन प्रक्रिया उचित नहीं थी और संशोधित नियमों के 50:25:25 - अनुपात के जनादेश के अनुसार नहीं थी, जो कि अधीनस्थ न्यायाधीशों के बीच पदोन्नति के आधार पर योग्यता-कम-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा पास करने के आधार पर, 5 वर्षों की सेवा वाले अधीनस्थ न्यायाधीशों के सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) और उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर बार से सीधे भर्ती के माध्यम से पद भरने के लिए थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यदि चुनौतीपूर्ण चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो यह संबंधित भर्ती नियमों का उल्लंघन होगी और संशोधित नियम 8 के अनुसार रोस्टर का पालन करने के जनादेश का उल्लंघन करेगी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि उच्च न्यायालय पदों के अनुपात को भरने के लिए संशोधित नियमों को पिछली तिथि से लागू कर रहा था, जो 20 अगस्त 2004 से प्रभावी हो गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती, जैसा कि निर्णय के उद्घाटन पैरा 1 में उल्लेख किया गया था, सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के कोटे तक सीमित थी, जो अधीनस्थ न्यायाधीश/नागरिक न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) से 31 अगस्त 2008 को आयोजित की जानी थी। उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 4 में उल्लेख किया कि चुनौती केवल 42 अतिरिक्त जिला

न्यायाधीशों के पदों तक सीमित थी, जिन्हें 25:25 के अनुपात में रोस्टर प्रणाली का पालन करके भरना था। उन पदों को अधीनस्थ न्यायाधीशों की रैंक से पदोन्नति और बार से सीधे भर्ती के बीच 25:25 के अनुपात में बराबर विभाजित करना था। निर्णय के पैरा 10 से आगे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को सही ठहराया और उच्च न्यायालय को निर्देशित किया कि वे रिक्तियों को निर्देशित तरीके से भरें। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> *"10. पक्षकारों के वकीलों को झारखंड उच्च न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार रोस्टर प्रणाली के तहत पदों के विभाजन के बारे में स्पष्टीकरण के प्रकाश में विस्तृत रूप से सुनने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 50% पद पहले ही योग्यता-कम-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जा चुके हैं, जिससे 41 पद भर गए हैं, शेष 42 पदों को 25% और 25% में विभाजित करना होगा। इसका अर्थ यह है कि 21 पदों को अधीनस्थ न्यायाधीशों/नागरिक न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरना होगा और शेष 21 पद, जो उपलब्ध पदों का 25% है, को सीधे भर्ती द्वारा भरना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्वनिर्दिष्ट मामले में स्पष्ट निर्देश का पालन है, जिसके अनुसार झारखंड उच्च न्यायिक सेवा नियमों को 2001 में संशोधित किया गया और 2004 में प्रभावी हुआ। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय को सूचित किया कि प्रतिवादियों ने न केवल सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा भरने के लिए 42 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, बल्कि 2009 में उपलब्ध होने वाले पदों को भी विज्ञापन में शामिल किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है और झारखंड उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2001 के विपरीत है।*
>
> *11. इसलिए, इस न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, सिवाय परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त करने के, जो 31.08.2008 को आयोजित की जानी थी, और प्रतिवादियों को निर्देशित करने के कि वे बचे हुए पदों को आधे-आधे अनुपात में विभाजित करें, यानी 25% और 25% बराबर-बराबर, और फिर अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 21 पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करें और शेष 21 पदों को सीधे भर्ती द्वारा भरें, जिसके लिए भविष्य में प्रतिवादी को यह कार्य करना होगा।*
>
> *12. चूंकि इस रिट याचिका में कोई अन्य मुद्दा उठाया नहीं गया है और विवाद केवल पदों के विभाजन के सिद्धांत के विपरीत करने तक ही सीमित है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, और यह सही पाया गया है, अधिसूचना जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए इंटरनेट पर जारी की गई है, उसे रद्द और निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, 31.08.2008 को आयोजित होने वाली परीक्षा प्रक्रिया को भी रद्द किया जाता है। तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है, लेकिन बिना किसी लागत के आदेश के।*

4. याचिकाकर्ताओं, जो संबंधित समय में अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और पदोन्नति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र थे, ने इस निर्णय को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. समरूप रिट याचिकाएँ ओवरलैपिंग मुद्दों को शामिल करती हैं। इन रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने, हालांकि, बार से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद के लिए विज्ञापन संख्या 1/2010 के आधार पर 2010 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। ये याचिकाकर्ता नियुक्ति प्राप्त करने में असफल रहे, क्योंकि मेरिट सूची के पहले 8 उम्मीदवारों ने संबंधित अवधि के लिए अधिसूचित 8 रिक्तियों को भर दिया। उक्त याचिकाकर्ताओं को मेरिट सूची में क्रम संख्या 9 के बाद रखा गया। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बार से सीधे भर्ती के लिए कुछ और पद उपलब्ध थे। यह तर्क मूल रूप से सिविल अपील से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 के परिणाम पर निर्भर है, जिसमें 2008 की चयन प्रक्रिया विषय है। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 2010 के लिए सही संख्या में रिक्तियों को अधिसूचित करने में विफल रहा। 2010 में सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सही संख्या 13 होनी चाहिए थी।

वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दिए गए बयानों के अनुसार अपनी अनुमानित संख्या के आधार पर रिक्तियों की संख्या तय की है।

6. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने उत्तर हलफनामे दायर किए हैं। उच्च न्यायालय (प्रशासनिक पक्ष) का कहना था कि 20.04.2008 तक बार से सीधे भर्ती के लिए कोई रिक्ति नहीं थी। यह कहा गया है कि वर्ष 2008 में, 30 अप्रैल 2008 तक की वास्तविक रिक्ति और 31 मार्च 2009 तक की संभावित रिक्ति उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित की गई थी। उक्त अधिसूचना इस प्रकार पढ़ी जाती है:

30.04.2008 तक की वास्तविक रिक्ति		31.03.2009 तक संभावित रिक्ति
योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा	सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से)	योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा
18	34	11

नोट: राज्य सरकार द्वारा 10 तदर्थ ए.डी.जे. की अधिसूचना जारी करने की स्थिति में। झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के नियमित आधार पर, न्यायालय द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2007 और 11.04.2008 को पत्र संख्या 6949/APPTT. और 2819/APPTT. के माध्यम से की गई सिफारिश के दृष्टिकोण में, 30.04.2009 तक पदोन्नति कोटे में वास्तविक रिक्तियां 08 तक घट जाएंगी।

2008 के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद, उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 4159/2008 दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि वह सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों की पदोन्नति द्वारा 42 रिक्तियों में से 21 रिक्तियों को भरे और शेष 21 रिक्तियों को सीधे भर्ती द्वारा भरे। मामला, इसलिए, चयन समिति को सौंपा गया था। इस बीच, हालांकि, न्यायिक अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय को वर्तमान विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 के माध्यम से चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिचालन पर अंतरिम रोक 9 अप्रैल, 2009 को प्रदान की गई थी। उक्त अंतरिम आदेश को बाद में 24 सितंबर 2010 को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया गया:

"टी.सी.22/2001 के बैच के साथ सूचीबद्ध करें।

चूंकि मामला 2008 के विज्ञापन के चरण पर लंबित है, हम 9.4.2009 को पिछले बेंच द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हैं और 2008 के विज्ञापन के अनुसार प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश देते हैं, जबकि इस विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित है। हालांकि, प्रक्रिया पूरी होने पर, आगे के आदेश तक रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी।"

अंतरिम आदेश में संशोधन के पश्चात, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के माध्यम से 2008 की अधिसूचित रिक्तियों को भरने की चयन प्रक्रिया पूरी की। एक और आवेदन पर, इस न्यायालय ने 5 अगस्त 2011 को उच्च न्यायालय को 2008 की चयन प्रक्रिया के संबंध में नियुक्तियाँ करने की अनुमति दी। उक्त आदेश इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"24 सितंबर 2010 के हमारे आदेश में संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन नियुक्तियाँ करने की स्वतंत्रता है।

इसलिए, अंतरिम आवेदन स्वीकृत किया जाता है।"

इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसार 31 अधीनस्थ न्यायाधीश कैडर के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कीं ताकि नियम 4(बी) और 4(सी) के तहत रिक्तियों को भरा जा सके। उच्च न्यायालय ने 17 और अधिकारियों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को एक और सिफारिश प्रस्तुत की।

7. इसके बाद उच्च न्यायालय ने दावा किया कि जब 2008 की चयन प्रक्रिया शुरू की गई और पूरी की गई, तब कोई प्रत्यक्ष भर्ती कोटा की रिक्ति नहीं थी। हलफनामा यह भी बताता है कि वर्ष 2010 में प्रत्यक्ष कोटा की 8 रिक्तियों को उच्च न्यायालय के ज्ञापन दिनांक 4 नवंबर 2010 में अधिसूचित किया गया था, जो इस प्रकार है:

***"18.07.2008 से वर्तमान तिथि तक** झारखंड उच्च न्यायिक सेवा में हुई वास्तविक रिक्तियां*

योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा	सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से)।	बार से सीधी भर्ती द्वारा	कुल रिक्तियां
28	08 or 09	07 or 08	44

ज्ञापन 7671/Apptt. दिनांक रांची, 4 नवंबर 2010

प्रतिलिपि वैज्ञानिक (डी), एन.आई.सी., झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को अग्रेषित।

"उपरोक्त रिक्तियों को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की आधिकारिक वेबसाइट पर डालने के लिए अनुरोध किया गया है।"

उच्च न्यायालय ने उन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 01/2010 के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की। उक्त विज्ञापन के अनुसार, संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने 29 सितंबर 2011 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा और 27 नवंबर 2011 को आयोजित मुख्य परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के साथ भाग लिया। केवल 32 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, जिन्हें 3 फरवरी 2012 को आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उन उम्मीदवारों में से, संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं सहित केवल 15 उम्मीदवार तीनों चरणों में सफल हुए। हालांकि, सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची के अनुसार, उन याचिकाकर्ताओं के नाम निचले स्थान पर थे। इसलिए, पहले 8 मेधावी उम्मीदवार की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए अनुशंसित की गई थी। यह भी हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि 2008 की चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि उनकी नियुक्ति इस न्यायालय में एसएलपी (सिविल) संख्या 9883/2009 में अंतिम निर्णय के अधीन थी।

8. उच्च न्यायालय ने यह दावा किया कि संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता, जिन्होंने बाद की चयन प्रक्रिया में भाग लिया, वे 2008 की चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि उन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2010 के आधार पर शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसी प्रकार, वे 2012 में अधिसूचित ताजा रिक्तियों के संबंध में कोई राहत नहीं मांग सकते, जो अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2012 के अनुसार थी। वह अधिसूचना इस प्रकार है:

"झारखंड उच्च न्यायालय, रांची अधिसूचना

संख्या 102/ए। झारखंड उच्च न्यायिक सेवा की रिक्तियां, जो 31.12.2012 तक की भविष्य की रिक्तियों सहित, निम्नलिखित तरीके से अधिसूचित की जाती हैं:-

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से योग्यता-सह-वरिष्ठता (65%) के आधार पर पदोन्नति द्वारा - नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत	सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10%) के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) - नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत	बार से सीधी भर्ती द्वारा (2.5%) - नियम, 2001 के नियम 4(ए) के तहत
57+7 = 64	शून्य	5 (+8*)

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त 69 अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

साथ ही, सभी पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों को पुनः संरचित किया जाता है।

**नोटः- प्रत्यक्ष भर्ती कोटा की 08 रिक्तियों को भरने की सिफारिश पहले ही राज्य सरकार को आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र संख्या 1959/APPTT. दिनांक 10.02.2012 के माध्यम से की जा चुकी है और इसलिए 31.12.2012 तक इस कोटा के तहत शेष रिक्तियां 05 (पांच) हैं।*

दिनांकः 22 मार्च, 2012

आदेश द्वारा,

रजिस्ट्रार जनरल"

श्रीकांत रॉय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य

रिक्ति की स्थिति 31 दिसंबर 2012 को संशोधित की गई और विधिवत अधिसूचित की गई अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2012 के माध्यम से, जो इस प्रकार है:

"झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अधिसूचना

संख्या 275/ए/ 31.12.2012 तक की झारखंड उच्च न्यायिक सेवा की रिक्तियों की स्थिति, अधिसूचना संख्या 102/ए दिनांक 22 मार्च 2012 के अनुसार संशोधित और अधिसूचित की जाती है:

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से योग्यता-सह-वरिष्ठता (65%) के आधार पर पदोन्नति द्वारा - नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत	सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10%) के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) - नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत	बार से सीधी भर्ती द्वारा (2.5%) - नियम, 2001 के नियम 4(ए) के तहत
68*	शून्य	08

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

"नोट: झारखंड उच्च न्यायिक सेवा में सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) के 28 अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की स्थिति में, दिनांक 17 जुलाई 2012 के पत्र संख्या 9593/Apptt. के अनुसार, 31.12.2012 के अनुसार इस कोटे [अर्थात नियम 4(बी) के तहत] के तहत वास्तविक रिक्तियां 40 हो जाएंगी।

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित

रजिस्ट्रार जनरल"

दिनांक: 19 सितंबर, 2012"

9. यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2012 को रिक्ति की स्थिति 174 की स्वीकृत क्षमता के आधार पर अधिसूचित की गई थी। उस समय स्वीकृत क्षमता को बाद में 191 तक बढ़ाया गया जब 17 स्थायी पदों का सृजन कर सुपरियर अधिकारियों के पद @ 10% मौजूदा क्षमता के सृजित किए गए। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 20 में संशोधित नियमों (14 दिसंबर 2011 को संशोधित) के आधार पर रिक्ति की स्थिति निम्नलिखित रूप में बताई गई है:

स्वीकृत शक्ति	योग्यता-सह-वरिष्ठता (65%) के आधार पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति द्वारा - नियम 4(बी)	सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) (10%) - नियम 4(सी)	बार से सीधी भर्ती द्वारा (25%) - नियम 4(ए)
स्वीकृत संख्या - 191	124	19	48
वर्तमान कार्य संख्या-124	68	20(-1*)	36
वर्तमान रिक्तियां	56-1* = 55 (*अतिरिक्त समायोजित)	शून्य	12

10. यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय के सिविल अपील संख्या 6647-6649/2012 (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पदस्थ अधिकारियों द्वारा दायर) में निर्णय के अनुसरण में, राज्य सरकार से दिनांक 20 फरवरी 2013 को 13 स्थायी पद सृजित करने का अनुरोध किया गया था ताकि उक्त सिविल अपीलों में 22 अपीलकर्ताओं को समायोजित किया जा सके, इस शर्त के साथ कि यदि किसी अपीलकर्ता का चयन प्रक्रिया में योग्य नहीं होने की स्थिति में, इस न्यायालय के उक्त निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उतने ही संख्या में सृजित जिला न्यायाधीश के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। उचित विचार के बाद, झारखंड उच्च न्यायिक सेवा की रिक्ति स्थिति को अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2013 के अनुसार अधिसूचित किया गया जो इस प्रकार है:

"झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अधिसूचना

संख्या 45/ए। झारखंड उच्च न्यायिक सेवा की रिक्तियों की स्थिति, जो पहले अधिसूचना संख्या 275/ए दिनांक 19 सितंबर 2012 के अनुसार अधिसूचित की गई थी, को वापस लिया जाता है और निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाता है:

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से योग्यता-सह-वरिष्ठता (65%) के आधार पर पदोन्नति द्वारा - नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत	सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10%) के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) - नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत	बार से सीधी भर्ती द्वारा (25%) - नियम, 2001 के नियम 4 (ए) के तहत
55	शून्य	22*+03^ = 25

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

श्रीकांत रॉय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य

नोटः 1 सिविल अपील संख्या 6647, 6648 और 6649/2012 के अपीलकर्ताओं के लिए 22 रिक्तियां।*

2. ^बार से प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 03 रिक्तियां।

3. राज्य सरकार के अंत से सृजित होने वाले 13 पदों को ध्यान में रखते हुए।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/- ए.के. चौधरी

रजिस्ट्रार जनरल आई/सी

दिनांकः 22 फरवरी, 2013

स्मारक संख्या 1644/Apptt. रांची, 22 फरवरी, 2013

कॉपी आई/सी एनआईसी सेल, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को अग्रेषित की जाती है ताकि उपरोक्त अधिसूचना को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जा सके।

हस्ताक्षरित/-22.02.2013

रजिस्ट्रार जनरल आई/सी"

11. यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने दिनांक 18 फरवरी 2014 की बैठक में 20 फरवरी 2014 को रिक्तियों की स्थिति का आकलन इस प्रकार किया:

क्रम संख्या		स्वीकृत शक्ति	20.02.2014 तक कार्य क्षमता	20.02.2014 तक रिक्तियां
1	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से योग्यता-सह-वरिष्ठता (65%) के आधार पर पदोन्नति द्वारा - नियमावली, 2001 के नियम 4(बी) के तहत	134	60	74* (74-4) = 70
2	सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10%) के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) - नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत	21	17	4
3	बार से सीधी भर्ती द्वारा (25%) - नियम, 2001 के नियम 4(ए) के तहत	51	55	अतिरिक्त 4* (अतिरिक्त को समायोजित किया जा सकता है)

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उच्च न्यायालय की ओर से दायर अन्य हलफनामों में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दोहराया गया है।

12. हमने पक्षकारों के वकीलों की लंबी सुनवाई की। प्रमुख अपील 2008 में प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इस चयन प्रक्रिया को यह पाते हुए निरस्त कर दिया कि 50% पद पहले ही योग्यता-कम-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप बची हुई 42 रिक्तियों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीश/सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) से पदोन्नति द्वारा और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा समान अनुपात में भरा जाना चाहिए। यह तर्क स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के बीच अनुपात बनाए रखने के लिए संशोधित नियम 20 अगस्त 2004 को प्रभावी हुए और उनका भविष्य में लागू होना था। इस प्रकार, 20 अगस्त 2004 को प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति प्रासंगिक होगी।

13. 20.08.2004 के संशोधन से पहले मौजूद नियम 4 और 5 को नियम 8 के साथ पढ़ा जाए तो इस प्रकार है:

<u>नियम-4:</u> सेवा में नियुक्ति- *सेवा में नियुक्ति, जो पहली बार में आम तौर पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर की जाएगी, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी:-*

(क) उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अनुच्छेद 233(2) के तहत भारत के संविधान में ऐसी नियुक्ति के लिए; और

(ख) योग्यता-कम-वरिष्ठता के आधार पर झारखंड सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा, बशर्ते कि जहां अधिकारियों की योग्यता सभी मामलों में समान हो, वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी और महत्व दिया जाएगा।

<u>नियम-5:</u> - सेवा की कुल पदों में से 67% पदोन्नति द्वारा और 33% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाएंगे:

बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, समय-समय पर उपरोक्त प्रतिशत में किसी भी दिशा में विचलन कर सकती है।

<u>नियम 8:</u> - वरिष्ठता:

(a) प्रत्यक्ष भर्ती के बीच परस्पर वरिष्ठता उनकी सेवा में नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(b) पदोन्नत अधिकारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता झारखंड न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति से पहले की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(c) यदि किसी समय एक से अधिक प्रत्यक्ष भर्ती सेवा में नियुक्त होते हैं, तो ऐसे नियुक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उनके चयन सूची में उनके क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(d) प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता उनके वास्तविक नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते, हालांकि, जब एक प्रत्यक्ष भर्ती और एक पदोन्नत अधिकारी एक ही तिथि को नियुक्त होते हैं, तो पदोन्नत अधिकारी प्रत्यक्ष भर्ती से वरिष्ठ होगा।"

14. परिणामस्वरूप, 2004 से पहले की गई नियुक्तियों को उस समय लागू नियमों द्वारा शासित किया गया था। उस व्यवस्था के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती कोटा कुल पदों का 33% था। यह स्पष्ट रूप से संशोधित नियमों में निर्दिष्ट 25% से अधिक था (इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार 20.08.2004 को संशोधित)। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने C.A.No. 1867/2006 में इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि उस समय झारखंड राज्य में प्रत्यक्ष भर्ती के 25% कोटा के खिलाफ कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी। यह हलफनामा 26 अगस्त 2008 को दायर किया गया था, जब संशोधित नियम अधिसूचित किए गए और 20 अगस्त 2004 से प्रभावी हो गए। इस प्रकार, झारखंड अधीनस्थ न्यायाधीशों के बीच 5 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सदस्यों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 34 पदों और सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) के बीच योग्यता-कम-वरिष्ठता आधार पर 18 पदों की पूर्ति के लिए 2008 में अधिसूचना जारी की गई थी, इस आधार पर कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। यह स्थिति अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा दायर हलफनामे में दोहराई गई है। उच्च न्यायालय ने चुनौतीपूर्ण निर्णय में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 20.08.2004 को रिक्त पदों के बारे में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करते हुए स्पष्ट त्रुटि की है - उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करने से पहले और उनके इस स्टैंड को अस्वीकार करने के लिए कि 30.04.2008 को प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।

15. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने चुनौतीपूर्ण निर्णय में इस न्यायालय के ***ऑल इंडिया जजेस' एसोसिएशन बनाम यूनियन का इंडिया और अन्य***[1] के निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए अनुसूची और अनुपात का पालन करने के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। निर्विवाद रूप से, इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमों को संशोधित किया गया था, जो 20 अगस्त 2004 से प्रभावी हुए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 27 से 29 में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवा यानी डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर में पदों के लिए भर्ती की विधि के संबंध में प्रश्न पर विचार किया है। यह इस प्रकार है:

"27. एक अन्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह है उच्च न्यायिक सेवा के कैडर में पदों के लिए भर्ती की विधि अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। वर्तमान में, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के दो स्रोत हैं, अर्थात अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा। अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की नींव है। इसलिए, यह अनिवार्य है, किसी अन्य नींव की तरह, कि इसे यथासंभव मजबूत होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली का भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर टिका होता है। जबकि हमने शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिससे अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमानों में वृद्धि होगी, साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जितने मेहनती हैं, और अधिक कुशल बनें। यह अनिवार्य है कि वे विधि के ज्ञान और नवीनतम निर्णयों के बारे में अपडेट रहें, और इसलिए शेट्टी आयोग ने एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की सिफारिश की

[1] **(2002) 4 SCC 247**

है, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हम इस राय के हैं कि जो अधिकारी उच्च न्यायिक सेवा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए एक न्यूनतम मानक होना चाहिए, जो वस्तुनिष्ठ रूप से आंका जाए। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में भर्ती अधिवक्ताओं से 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा, लिखित और मौखिक दोनों के माध्यम से होनी चाहिए, हम इस राय के हैं कि पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता की जांच के लिए एक वस्तुनिष्ठ विधि होनी चाहिए। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों में सुधार करने और एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त करें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त करें। इस तरह, हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों का स्तर और भी सुधार जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत नियुक्ति और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत का अनुपात बनाए रखा गया है, हम, हालांकि, इस राय के हैं कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दो विधियां होनी चाहिए: उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों में से 50 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर योग्यता-कम-वरिष्ठता के सिद्धांत पर भरे जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालयों को उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान को जानने और उनकी निरंतर दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षा तैयार करनी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। शेष 25 प्रतिशत पद सेवा में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूरी तरह से योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे, जिसके लिए सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) के रूप में पात्रता सेवा पांच वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम बनाना होगा।

28. *नतीजतन, पुनः पुष्टि करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के कैडर में भर्ती निम्नलिखित रूप में होगी:*

(1)(a) 50 प्रतिशत सिविल जजों (वरिष्ठ श्रेणी) के बीच से योग्यता-कम-वरिष्ठता के सिद्धांत और एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(b) 25 प्रतिशत सिविल जजों (वरिष्ठ श्रेणी) के बीच से जिनकी पात्रता सेवा पांच वर्ष से कम नहीं हो, सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूरी तरह से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा; और

(c) 25 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष भर्ती से योग्य अधिवक्ताओं के बीच से लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा भरे जाएंगे।

(2) उपर्युक्त अनुसार उपयुक्त नियम उच्च न्यायालयों द्वारा यथाशीघ्र बनाए जाएंगे।

29. *अनुभव से पता चला है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच सेवा में उनकी वरिष्ठता को लेकर लगातार असंतोष रहा है। तीन दशकों से अधिक समय से, पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्णय करने के लिए बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। आज के निर्णय के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के तीन तरीके होंगे। पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटा 50 प्रतिशत योग्यता-कम-वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करते हुए, 25 प्रतिशत पूरी तरह से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर और 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा होगा। अनुभव ने यह भी दिखाया*

है कि देश में सबसे कम मुकदमेबाजी वहां होती है जहां भर्ती में कोटा प्रणाली लागू है और वरिष्ठता को रोटा प्रणाली के अनुसार तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार 40-बिंदु रोटा निर्धारित किया गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा को दर्शाता है। भर्ती के बाद सेवा में सदस्यों के बीच मुश्किल से ही मुकदमेबाजी हुई है, क्योंकि वरिष्ठता रोटा बिंदुओं के आधार पर तय की जाती है, और इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब हुई। जब रोटा प्रणाली का पालन किया जाता है, तो किसी भी विवाद के उठने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। 40-बिंदु रोटा को इस न्यायालय द्वारा आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में विचार और स्वीकृत किया गया है। मुकदमेबाजी से बचने और इस संबंध में निश्चितता लाने के तरीकों में से एक है पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करना, न कि रिक्तियों के संबंध में। यह वह मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर 40-बिंदु रोटा काम करता है। हम उच्च न्यायालयों को निर्देश देते हैं कि वे इस न्यायालय द्वारा आर.के. सभरवाल मामले में स्वीकृत रोटा सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठता नियमों को यथाशीघ्र संशोधित और अधिसूचित करें। हमें उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता के निर्धारण में कोई और विवाद नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली केवल भविष्य में लागू हो सकती है, सिवाय उन मामलों के जहां संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता को कोटा और रोटेशन प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया जाना है। उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मौजूदा सापेक्ष वरिष्ठता को संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए रोटा विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त नियम और विधियां उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा, जहां भी आवश्यक हो, 31-3-2003 तक स्वीकृत की जाएंगी।"

(जोर दिया गया)

16. एक बार यह पाया गया कि 30 अप्रैल 2008 को प्रत्यक्ष भर्ती के कोटा के खिलाफ कोई पद उपलब्ध नहीं था, तो झारखंड उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति द्वारा मेरिट के आधार पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण निर्णय में उच्च न्यायालय ने 25:25 के अनुपात में रिक्तियों को भरने के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया है, जो अनिवार्य रूप से 30.04.2008 के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के पदों के कोटा से अधिक हो जाएगा। यह रोटा बिंदु को विचलित करेगा और संशोधित नियम 8 के अनुसार अस्वीकार्य होगा। 20.08.2004 की अधिसूचना जो नियम 5 और 8 को संशोधित करती है, इस प्रकार है:

"झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग

अधिसूचना

रांची तिथि 20.08.2004

संख्या 6/Estab Jud 610/2001 Perso. 4544/झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम 2001 के विभागीय अधिसूचना संख्या 1246 दिनांक 08.05.2001 के मौजूदा नियम 5, 7, 8 (d) को निरस्त करने के बाद, नियम 5 और 8 (d) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम 5: सेवा संवर्ग में कुल पदों में से:

(i) 50% पदों को सब जजों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जो योग्यता-कम-वरिष्ठता और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर होगा।

(ii) 25% पदों को पदोन्नति (चयन के माध्यम से) द्वारा, सख्ती से योग्यता के आधार पर, उन सब जजों की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की सेवा की हो और उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए।

(iii) 25% पदों को बार से सीधे भर्ती के माध्यम से, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भरा जाएगा।

8(d) प्रत्येक 100 पदों की इकाई के लिए निम्नलिखित रोस्टर नियुक्ति/पदोन्नति के बाद सीधे भर्ती किए गए और पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने के लिए रखा जाएगा। रोस्टर इस प्रकार होगा:

(i) *सेवा से पदोन्नत अधिकारियों के लिए -*

1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 97, 98.

(ii) उप न्यायाधीश की सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारियों के लिए –

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99.

(iii) सीधे भर्ती के लिए –

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 88, 92, 96, 100.

गवर्नर के आदेश से
(श्री नित्य शंकर मुखोपाध्याय)
राज्य के उप सचिव

संख्या 6/Estab Jud 610/2001 Perso. 4544/ के बाद रांची दिनांक 20.08.2004

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सरकारी प्रेस, डोरंडा रांची, से अनुरोध है कि इसे झारखंड राजपत्र के अगले संस्करण में प्रकाशित किया जाए।

उप सचिव, सरकार,"

17. 30 अप्रैल 2008 को स्थिति को, उच्च न्यायालय द्वारा 30 मार्च 2016 को दायर हलफनामे के पैराग्राफ 4 में इस प्रकार बताया गया है:

"यह कहा गया है कि 30.04.2008 को झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा की स्वीकृत क्षमता 145 थी और कार्यरत क्षमता 93 थी, जो इस प्रकार है:-

योग्यता-सह-वरिष्ठता (50%) के आधार पर उप न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा	सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति (चयन के माध्यम से) (25%)	बार से सीधी भर्ती द्वारा (25%)
स्वीकृत संख्या- 145		
73	36	36
कार्य शक्ति = 93		
55	00	38
रिक्तियां = 52		
18	36-2 = 34	02 (अतिरिक्त)

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 30 अगस्त 2008 को सीधी भर्ती के कोटे में कोई रिक्ति नहीं थी, रिट याचिकाकर्ता (प्रमुख अपील में प्रतिवादी 4 से 11), जो केवल सीधी भर्ती के चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा नहीं, उन्हें 2008 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं था।

19. उच्च न्यायालय ने "पद" और "रिक्ति" के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया है। यदि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोटे के पद पहले से ही भरे जा चुके थे, तो केवल रिक्तियों के उत्पन्न होने से, सीधी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को सेवा न्यायिक अधिकारियों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। कैडर की शक्ति हमेशा कैडर को बनाने वाले पदों की संख्या से मापी जाती है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल संबंधित कैडर में किसी पद के संबंध में ही दावा किया जा सकता है। कोटे का प्रतिशत कैडर में शामिल पदों की संख्या के संबंध में ही काम किया जाता है और इसका रिक्ति से कोई संबंध नहीं है जो उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि 30 अप्रैल 2008 को सीधी भर्ती के लिए कोई पद नहीं था, इसलिए सेवा न्यायिक अधिकारियों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से रिक्ति को भरने की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार सीधी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए, ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका (WP(S) No. 4159/2008) को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

20. ऐसा कहे जाने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि 2008 की चयन प्रक्रिया जो इस कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के आधार पर पूरी हुई, उचित है और अंतिम हो गई है। इस निष्कर्ष पर, 2010 के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उस समय, 2010 में चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना की तारीख (i.e., 4 नवंबर 2010) के अनुसार रिक्तियों की स्थिति केवल 8 रिक्तियों तक सीमित थी, जो बार से सीधी भर्ती के लिए थीं। इस कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से कोई भी पहले 8 मेरिट लिस्ट में से एक नहीं है। याचिकाकर्ता क्रमांक 9 से शुरू होकर सूचीबद्ध

हैं। पहले 8 उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद, 2010 की चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और पूरी मानी जाएगी। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के नाम चयन सूची में हैं, उन्हें नियुक्ति का कोई अविचल अधिकार प्राप्त नहीं होता है। रिक्तियों को मौजूदा नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भाग लिया, 8 अधिसूचित रिक्तियों के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर शुरू की गई थी और मेरिट वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। उस चयन प्रक्रिया को समाप्त मानना चाहिए। यह तथ्य कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर अगले चयन प्रक्रियाओं (जो 2010 के बाद शुरू की गईं) में विभिन्न या अधिक संख्या में पदों की अधिसूचना जारी की गई, 2010 की चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह बदलती स्थिति अगले अवधि के आधार पर है, न कि 2010 की चयन प्रक्रिया के लिए। इसी प्रकार, यह तथ्य कि नियुक्त आठ उम्मीदवारों में से एक ने बाद में त्यागपत्र दे दिया, 2010 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं देगा। नियम 21 पर भरोसा, जो चयन सूची तैयार करने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है और उसे अधिसूचित करने के एक वर्ष के लिए वैध रखने की आवश्यकता होती है, भी अनुपयुक्त है। यह चयनित उम्मीदवारों की वेट सूची तैयार करने का नियम नहीं है। एक वर्ष के लिए वेट सूची के रूप में चयन सूची को बनाए रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। इसके विपरीत, नियम 22 का प्रभाव यह है कि एक बार जब चयन सूची से उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में सरकार को सिफारिश की जाती है; और सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है या चयन सूची को अधिसूचित करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, चयन सूची विषय चयन प्रक्रिया के लिए अप्रभावी हो जाती है। क्योंकि, वह चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसलिए, कोई भी याचिकाकर्ता जो राहत की मांग कर रहा है, सफल नहीं हो सकता।

21. ***राखी राय व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य***[2] मामलों में निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए सहायक नहीं होगा और इसके बजाय हमारी पहले से ली गई दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। याचिकाकर्ताओं को 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई चयन प्रक्रिया के आधार पर राहत की मांग नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय को 2010 की चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने 2010 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और 2012 के लिए 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना के आधार पर शुरू की गई चयन प्रक्रिया में नहीं, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती।

22. उपर्युक्त को देखते हुए, नागरिक अपील सफल होनी चाहिए और इसे स्वीकृत किया जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के WP(S) No. 4159/2008 दिनांक 29 अगस्त 2008 का अपीलित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप WP(S) No. 4159/2008 खारिज किया जाता है। तीन संबंधित रिट याचिकाएँ संख्या 300/2013, 27/2014 और 325/2014 भी खारिज की जाती हैं और खारिज की जाती हैं। इसके साथ, I. As को भी समान शर्तों पर निपटाया जाता है।

---

[2] **(2010) 2 SCC 637**

23. हम उसी के अनुसार आदेश करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

दीक्षा पांडे

मामले निपटाए गए।

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**